न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –38 / 2026 (आव0व0अधि0)

GCMSNO. 2026/140

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

श्री मोहित राठौड पुत्र राजेश राठौर निवासी म.नं. 166 अजय आहूजा नगर, जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 10व्यावसायिक व 3 घरेलू गैस सिलेण्डर व 1 गैस रिफलिंग बांसुरी को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः–०५.05.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत दिनांक 14.03.2026 को जांच दल में सम्मिलित विपिन कुमार जैन प्रवर्तन अधिकारी, विशाल मीणा प्रवर्तन निरीक्षक व तारा प्रेमचंदानी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहन में अवैध रिफलिंग से जान माल व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के क्रम में कोटा म.नं. 166 अजय आहूजा नगर क्षेत्र स्थित मोहित राठौर पुत्र राजेश राठौर के मकान पर पहुंचे । मौके पर मोहित राठौर पुत्र राजेश राठौर निवासी म.नं. 166 अजय आहूजा नगर, कोटा उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म / दुकान / मकान का मालिक होना बताया । जिनकी उपस्थिति में जाचं कार्य सम्पादित किया गया, दुकान परिसर का अवलोकन करने पर उक्त दुकान पर व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स 19.00 किलो क्षमता से घरेलू गैस सिलेण्डर्स में गैस रिफलिंग बांसूरी के माध्यम से अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था । उक्त अवैध गैस रिफलिंग करने के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित फर्म के मालिक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संताषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा व्यावसायिक गैस सिलेण्डर्स 19.00 किग्रा क्षमता से घरेलू गैस सिलेण्डर्स में गैस रिफलिंग बांसूरी के माध्यम से अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किये जाना पाया जाने पर मौके पर कुल 10 व्यावसायिक व 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर दिनेश गैस एजेन्सी विज्ञान नगर, कोटा के प्रतिनिधि श्री मुकेश राठौर पुत्र श्री रामप्रसाद मेरोठा निवासी छावनी, कोटा को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया । जिनका कुल अनुमानित मूल्य 35354/– है । जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर क्रमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार

1	BPCL	377222	19.0	19.4	19.5	0.1	वाणिज्यक
2	IOCL	191491	19.0	19.0	20.0	1.0	वाणिज्यक
3	HPCL	09346	19.0	19.1	25.6	6.5	वाणिज्यक
4	IOCL	990831	19.0	19.1	27.6	8.4	वाणिज्यक
5	IOCL	975516	19.0	19.5	23.3	3.8	वाणिज्यक
6	IOCL	414315	19.0	19.8	19.8	0.0	वाणिज्यक
7	HPCL	94207	19.0	19.3	23.4	4.1	वाणिज्यक
8	IOCL	024615	19.0	19.3	19.3	0.0	वाणिज्यक
9	IOCL	020214	19.0	19.1	33.3	14.2	वाणिज्यक
10	IOCL	19083	19.0	19.1	19.4	0.3	वाणिज्यक
11	HPCL	374805	14.2	15.0	16.0	4.6	घरेलू
12	IOCL	117049	14.2	15.8	19.4	3.6	घरेलू
13	HPCL	25150	14.2	15.4	16.0	0.6	घरेलू
	एक गैस रिफलिंग बांसुरी						
	Total					47.2	

इस प्रकार अजय आहूजा नगर क्षैत्र स्थित म.नं. 166 के मालिक मोहित राठौर के द्वारा गैस सिलेण्डररर्स 19.00 किग्रा क्षमता से घरेलू गैस सिलेण्डर्स में गैस रिफलिंग बांसूरी के माध्यम से अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3(1)(ए), (बी) व (सी) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 10 व्यावसायिक (19.00 किग्रा क्षमता व 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (1402 किग्रा क्षमता) एवं उसमें भरी हुई 47.2 किग्रा गैस को राज्य सरकार के पक्ष में स्थायी रूप से राजसात करने का आदेश प्रदान करें तथा धारा 6–ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि दिनांक 13.3.2026 को मेरी शादी के प्रीतिभोज का उत्सव था इससे पूर्व मैने गैस कम्पनी में गैस सिलेण्डर बुक करवाने का प्रयास किया किन्तु तकनीकि कारणों एवं नये नियमों के चलते गैस बुक नहीं हो पाया । आपातकाल में हमने जैसे तैसे व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं मेरे स्वयं के घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर समारोह का समापन करवाया । घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जा चुका था और अब घरेलू उपयोग हेतु भरे हुए सिलेण्डर नहीं थे, इसलिये हमने समारोह के बाद अगले दिन समारोह में खाली हुए घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर में रहीं शेष गैस से भर रहे थे एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कृत्य हमने अपने घर के बाहर खुले वातावरण में किया । इस बात की मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि गैस सिलेण्डर से गैस ट्रान्सफर करना गैर कानूनी है तथा जानकारी के अभाव एवं मजबूरी में मैने यह सब किया जिसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं । उक्त कृत्य विपरीत परिस्थितियों में जानकारी के अभाव में किया गया । मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हॅ और आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी हूॅ । उक्त सम्बन्ध में दायर प्रकरण को यथा स्थिति रोक दिया जावें तथा मौके पर से जब्त गैस सिलेण्डर मुझे वापस लौटा दिये जावें । इसके लिए जो भी न्यूनतम जुर्माना राशि हो, मैं उसका भुगतान करने के लिए तैयार हूॅ ।
5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर श्री मोहित राठौर के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 10 व्यावसायिक (19.00 किग्रा क्षमता व 3 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) एवं उसमें भरी हुई 47.2 किग्रा गैस को राज्य सरकार के पक्ष में स्थायी रूप से राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर के सम्बन्ध में निवेदन

किया है कि दिनांक 13.3.2026 को अप्रार्थी की शादी के प्रीतिभोज होना एवं इससे पूर्व गैस बुक नहीं होने से व्यावसायिक गैस सिलेण्डर एवं स्वयं के घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया । समारोह के बाद खाली हुए घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर में रही शेष गैस से भर रहे थे, एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया था । उक्त कृत्य जानकारी के अभाव में किया जाना बताते हुए कार्यवाही को समाप्त कर जब्तसुदा गैस सिलेण्डर सुपुर्दगी में देने का निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में शादी का कार्ड भी संलग्न किया है है जिससे उनके घर में विवाह का आयोजन होना जाहिर आया है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर 10 व्यावसायिक एवं 3 घरेलू गैस सिलेण्डर वापस अप्रार्थी को सुपुर्दगी के आदेश दिये जाते है । जिला रसद अधिकारी कोटा को आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावें ।
7. निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

कलक्टर कोटा

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा